

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 16/2025

अनवान : -

1. धर्मपाल पुत्र साजन राम जाति मेघवाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम**

1. खेताराम पुत्र बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
2. मनफुल पुत्र गणपत जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
3. मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
4. राकेश कुमार पुत्र कृपाराम जाति धानक निवासी झोपड़ तहसील तारानगर जिला चुरु
5. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
6. रामस्वरूप पुत्र काशीराम जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
7. लिलूराम पुत्र काशीराम जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृपाराम जाति धानक निवासी झोपड़ तहसील तारानगर
9. सावित्री पत्नि बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
10. हनुमान प्रसाद पुत्र बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 27/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 590 के प. न. 307 / 401 मु.न. 43 के किला नं. 16 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर, 25 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25 / 2 की 0.2150 हैक्टर, प.न. 307 / 402 मु.न. 3-4 की 0.506 हैक्टर 5 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 6 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 6 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 7-8 व 14 की 0.7590 हैक्टर, 15 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 15 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 16 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16 / 2 की 0.2150 हैक्टर, किला नं. 17 व 24 की 0.5060 हैक्टर भूमि 15 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 15 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 16 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 25 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25 / 2 की 0.2150 हैक्टर, कुल 17 किता की 5.5660 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 मुश्तरका खातेदार कास्तकार है

रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 590 की 5.5660 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी अकेला 3 / 13 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1 / 96 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1 / 32 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 अकेला 1 / 96 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला 5 / 64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 अकेला 1 / 24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 अकेला 1 / 24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 अकेला 5 / 64 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अकेला 1 / 96 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अकेला 1 / 96 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादी प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता व लगान मुश्तरका है तथा उक्त खाते में काफी सह भागीरथा होने के कारण भूमि कि काश्त सीमाएं तथा अधिकारों के बाबत फरीकेन दावा में आपस में तनाजात रहते हैं तथा वादी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को सुधार खाद, आदि डालकर उर्वर शक्ति बढ़ा रखी है इसलिए वादी अपनी उक्त भूमि का खाता व लगान प्रतिवादीगण से मुताबिक हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त तकसीम करवाकर अलग-अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय अर्जीदावा है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 590 की 5.5660 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते हैं बहस सुनी जावे।


बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 590 की 5.5660 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 धर्मपाल पुत्र साजनराम जाति मेघवाल सा0 पिचकराई खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा नोहर — प0न0 307/402(52) किला न0 6/3 की 0.076, 7/2 की 0.088, 8/2 की 0.


  
उपजुड अधिकारी  
नोहर

088, 14 की 0.253, 15/1 की 0.011 रास्ता, 15/2 की 0.215, 16/1 की 0.038, 16/2 की 0.126, 17/1 की 0.148 कुल 1.043 हैक्ट बारानी 0.994 हैक्ट, रास्ता 0.049 हैक्ट

- 2 रामलाल पुत्र श्योकरण जाति धानक निवासी पिचकराई खातेदार रहन आईसीआईसी बैंक शाखा नोहर 307/401(43) के किला न0 16/1 की 0.038, 16/2 की 0.215, 17 ता 24 की 2.024, 25/1 की 0.038, 25/2 की 0.215, 307/402(52) किला न0 3/1 की 0.069, 4/1 की 0.069, 5/2 की 0.058, 5/1 की 0.038, 6/1 की 0.018 कुल 2.782 हैक्ट, बारानी 2.650, रास्ता 0.132 हैक्ट
- 3 सुरेन्द्र कुमार, राकेश कुमार पि0 कृपाराम बहिब 5/6 हि0 जाति धानक सा0 झोटड़ा तह0 तारानगर, मनफूल पुत्र गणपत 1/6 हि0 जाति धानक सा0 पिचकराई खातेदार 307/402(52) 3/2 की 0.184, 4/2 की 0.184, 5/2 की 0.157, 6/1 की 0.020, 6/2 की 0.139, 7/1 की 0.165, 8/1 की 0.165, 15/1 की 0.027 कुल 1.041 हैक्ट बारानी 0.994 हैक्ट रास्ता 0.047 हैक्ट
- 4 रामस्वरूप, लीलूराम पि0 काशीराम बहिब 2/3 हि0, सावित्री पत्नी बृजलाल, हनुमान प्रसाद, मांगीलाल, खेताराम पि0 बृजलाल बहिब 1/3 हि0 जाति धानक सा0 पिचकराई खातेदार रहन बीओबी शाखा नोहर मुर्त - प0न0 307/402 (52) किला न0 16/3 की 0.089, 17/2 की 0.105, 24 की 0.253, 25/1 की 0.038, 25/2 की 0.215 कुल 0.700 हैक्ट बारानी 0.662 हैक्ट रास्ता 0.038 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 16/2025

अनवान : -

1. धर्मपाल पुत्र साजन राम जाति मेघवाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम

1. खेताराम पुत्र बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
2. मनफुल पुत्र गणपत जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
3. मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
4. राकेश कुमार पुत्र कृपाराम जाति धानक निवासी झोपड़ तहसील तारानगर जिला चुरु
5. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
6. रामस्वरूप पुत्र काशीराम जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
7. लीलूराम पुत्र काशीराम जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृपाराम जाति धानक निवासी झोपड़ तहसील तारानगर
9. सावित्री पत्नि बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
10. हनुमान प्रसाद पुत्र बृजलाल जाति धानक निवासी पिचकराई तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 16 सन 2025 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 590 की 5.5660 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. धर्मपाल पुत्र साजनराम जाति मेघवाल सा0 पिचकराई खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा नोहर - प0न0 307/402(52) किला न0 6/3 की 0.076, 7/2 की 0.088, 8/2 की 0.088, 14 की 0.253, 15/1 की 0.011 रास्ता, 15/2 की 0.215, 16/1 की 0.038, 16/2 की 0.126, 17/1 की 0.148 कुल 1.043 हैक्ट बारानी 0.994 हैक्ट, रास्ता 0.049 हैक्ट
2. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति धानक निवासी पिचकराई खातेदार रहन आईसीआईसी बैंक शाखा नोहर 307/401(43) के किला न0 16/1 की 0.038, 16/2 की 0.215, 17 ता 24 की 2.024, 25/1 की 0.038, 25/2 की 0.215, 307/402(52) किला न0 3/1 की 0.069, 4/1 की 0.069, 5/2 की 0.058, 5/1 की 0.038, 6/1 की 0.018 कुल 2.782 हैक्ट, बारानी 2.650, रास्ता 0.132 हैक्ट
3. सुरेन्द्र कुमार, राकेश कुमार पि0 कृपाराम बहिब 5/6 हि0 जाति धानक सा0 झोटड़ा तह0 तारानगर, मनफुल पुत्र गणपत 1/6 हि0 जाति धानक सा0 पिचकराई खातेदार 307/402(52) 3/2 की 0.184, 4/2 की 0.184, 5/2 की 0.157, 6/1 की 0.020, 6/2 की 0.139, 7/1 की 0.165, 8/1 की 0.165, 15/1 की 0.027 कुल 1.041 हैक्ट बारानी 0.994 हैक्ट रास्ता 0.047 हैक्ट
4. रामस्वरूप, लीलूराम पि0 काशीराम बहिब 2/3 हि0, सावित्री पत्नी बृजलाल, हनुमान प्रसाद, मांगीलाल, खेताराम पि0 बृजलाल बहिब 1/3 हि0 जाति धानक सा0 पिचकराई खातेदार रहन बीओबी शाखा नोहर मुर्त - प0न0 307/402 (52) किला न0 16/3 की 0.089, 17/2 की 0.105, 24 की 0.253, 25/1 की 0.038, 25/2 की 0.215 कुल 0.700 हैक्ट बारानी 0.662 हैक्ट रास्ता 0.038 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर